राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 08/04/2024 को संपन्न 523वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: **521वीं एवं 522वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/03/2024 एवं 28/03/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 521वीं एवं 522वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/03/2024 एवं 28/03/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2258)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 412455 एवं 22/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित

क्षेत्रफल एवं क्षमता	9.45 हेक्टेयर एवं 2,00,000.8 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1107(पार्ट), 1109, 1119, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1132, 1133, 1134 एवं 1136/2	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स पोन्दुम सेण्ड क्वारी (डी–5) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दुम), ग्राम–पोन्दुम, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2814)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453624 एवं 28/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–948(पार्ट) एवं डंकनी नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 04/04/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनीराम ओयामी, सचिव, ग्राम पंचायत पोंडम उपस्थित हुए।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पोन्दुम-2 दिनांक 30/06/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 18/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024 खदानों की संख्या निरंक है।	संलग्न है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पोन्दुम दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– पोन्दुम 1.7 कि.मी. स्कूल ग्राम– पोन्दुम 4.5 कि.मी. अस्पताल– दंतेवाड़ा 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 9 कि.मी. राज्यमार्ग– 16 कि.मी.	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 1,533 मीटर, न्यूनतम 1,446 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 42 मीटर, न्यूनतम 31 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 52 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 130 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 52 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 60 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3-4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर	संलग्न है।

	खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 12/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 511 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत पोन्दुम द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 939, क्षेत्रफल 1.55 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,33,340
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

	सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
10	2%	0.20	Following activities at, **Village-Pondum-2**	
			Pavitra Van Nirman	5.528
			Total	**5.528**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 408 नग पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 48,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये तथा अन्य के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,11,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पोन्डुम–2 के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 939, क्षेत्रफल 1.56 हेक्टेयर में से 0.40 डिसमिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (स्तरों) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पोन्दूम सेण्ड क्वारी (डी-5) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दूम) को ग्राम-पोन्दूम, तहसील-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, खसरा क्रमांक-945(पार्ट), कुल लीज क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स यू. बी. वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 94 से 115, इण्डस्ट्रीयल एरिया नयनपुर–गिरवरगंज, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2906)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 455576/ 2023, दिनांक 15/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत् प्लांट नं. 94 से 115, इण्डस्ट्रीयल एरिया नयनपुर–गिरवरगंज, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल क्षेत्रफल–3.15 हेक्टेयर में नवीन इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–59,940 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स थ्रू रि–हीटिंग फर्नेस क्षमता–14,326 टन प्रतिवर्ष एवं रोल्ड प्रोडक्ट थ्रू हॉट चार्जिंग क्षमता–43,817 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत् परियोजना का कुल विनियोग रुपये 20 करोड़ रुपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजीव कुमार उपाध्याय, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

- एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 541, दिनांक 02/03/2019 द्वारा मेसर्स यू. बी. वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड, प्लांट नं. 94 से 115, इण्डस्ट्रीयल एरिया नयनपुर–गिरवरगंज, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल क्षेत्रफल–7.787

एकक में स्थापित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर से रोलिंग मिल क्षमता–59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 26/09/2023 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31/07/2026 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 6.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जिंदल विमानपत्तन 148 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 600 मीटर एवं परसंग नाला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। समिति का मत है कि समीपस्थ आबादी, स्कूल, अस्पताल आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भूमि संबंधी विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि आवेदित क्षेत्र नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र में आता है, जिस हेतु लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in Hect.)			
		Existing Area	Proposed Area (change)	Total	%

1.	Build up Area	1.24	+0.18	1.42	45
2.	Road & Paved Area	0.19	0	0.19	06
3.	Green Belt Area	1.04	0	1.04	33
4.	Open Area	0.68	-0.18	0.5	16
	Total	**3.15**	**0**	**3.15**	**100**

6. रॉ–मटेरियल –

Raw Material for Induction Furnace

Input		Output	
Item	**Qty.**	**Item**	**Qty.**
Spong Iron	64,436	MS Billet (Hot + Cold)	59,940
Pig Iron/ CI Scrap	7,910	Defective Billets	1,296
Melting Scrap	1,895	Heat Failure Break out etc	1,620
Ferro Alloys	600	Mill Scale	1,944
Aluminium	60	Slag	9,741
Ramming Mass	150	Refractory Waste	75
Steel Sheet Former	15	LOI	450
Total	**75,066**		**75,066**

Hot Charging Based Rolling Mill

Input		Output	
Item	**Qty.**	**Item**	**Qty.**
Hot metal in form of Hot Billets	44,940	Rerolled products (Hot Charged)	43,817
		Mill Scale	674
		Miss Rolls / Defectives	449
Total	**44,940**		**44,940**

Input			Output		
Item	**Existing (TPA)**	**Proposed (TPA)**	**Item**	**Existing (TPA)**	**Proposed (TPA)**
Billets	82,370 Billets (purchased from market)	15,000 cold billets (from induction furnaces)	Rerolled Product (through BRF)	59,400	14,326
Coal	11,250 (Or furnace oil in case of none use of coal = 2,376 TPA)	1,720 (Or furnace oil in case of none use of coal = 364 TPA)	Mill Scale	540	225
-	-	-	Miss Rolls / Defectives	2,160	449
			Coal Ash	2,040	601
			Loss Due to Reheating	9,480	1,119
Total	**73,620**	**16,720**	**Total**	**73,620**	**16,720**

Source of Raw Material for Proposed scenario after backward integration

Raw Material for reheating Furnace Based Mill	Qty. (TPA)	Proposed Source	Mode of Transport
Sponge Iron	64,436	Sponge Iron Plant in Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand	By Road through Covered Trucks
Pig /CI Scrap	7,910	Iron and Steel Plants in Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand	
Melting Scrap	1,895	Iron and Steel Plants in Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand	
Ferro Alloys	600	Ferro Alloys plants in Chhattisgarh and Odisha	
Aluminium	60	Aluminium plants in Chhattisgarh and Odisha	
Ramming Mass	150	SSI units in Chhattisgarh and Jharkhand	
Steel Sheet Former	15	Iron and Steel Plants in Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand	
Indian Coal (Gasifier)	1,720	SECL	By Rail & Road Covered Trucks
Total	**76,786**		

7. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S.No.	Unit Name	Existing Consented Unit	Proposed backward Integration	Total capacity after Expansion
A	Rolling mill through Reheating Furnace (re-rolled products)	59,400 TPA	(- 45,074)	14,326 TPA
B	Rolling mill through Hot charge Based mill (re-rolled products)	-	43,817 TPA	43,817 TPA
1.	Total Rerolled steel production	**59,400 TPA**	-	**58,143 TPA**
2.	Hot Billets production through Induction Furnace	Nil	59,940 TPA	59,940 TPA
3.	Gasifier for Rolling mill	(1x1) 1,500 Nm3/hour	-	1,500 Nm3/hour

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में स्थापित रि–हीटिंग फर्नेश आधारित रोलिंग मिल में 35 मीटर चिमनी स्थापित होना बताया गया है। प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेश में चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित रि–हीटिंग फर्नेश में वायु प्रदूषण

नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था तथा प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No.	Waste	Quantity Existing (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Management
1.	Slag	Nil	9,741	Used For Brick and Road Making, land fill
2.	Mill Scale	540	2,843	Sold to Pellets Plant or Ferro Alloy units
3.	End Cutting and Miss Rolls	2,160	898	Used in own IF
4.	Coal Ash	2,040	449	Sold to nearby Brick Plant
5.	Tar	0.69	0.002	Sold to TAR recyclers.
	Total	4,740	15,379	

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

S.No.	Particulars	Quantity (m3/ day)	
		Existing	After Backward Integration
1.	Domestic	5	11
2.	Cooling water	30	80
3.	Plantation & Dust Suppression	10	3
	Total	45	94

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता (25 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 17/11/2026 तक है। समिति का मत है कि शेष जल की मात्रा हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् घरेलू दूषित के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल का उपयोग हरित पट्टिका के विकास, स्लेग क्वेंचिंग आदि में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग

व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.04 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **प्रदूषण भार संबंधी विवरण**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित कोल बेस्ड रि–हीटिंग फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.81 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जबकि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.618 टन प्रतिवर्ष बताया गया था। अतः उक्त प्रदूषण भार की गणना में भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदानुसार प्रदूषण भार की पुनः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
2000	1%	20	Following activities at Nearby, **Village- Nayanpur**	
			Eco Park Nirman	22.00
			Total	**22.00**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नग पौधों के लिए राशि 2,88,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये एवं सिंचाई के लिए राशि 3,00,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,82,000 रूपये, अन्य कार्य (पाथ–वे, सैटिंग चेयर्स) के लिए राशि 5,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 14,32,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,31,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान में स्थापित रि-हीटिंग फर्नेश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था तथा प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में स्थापित कोल बेस्ड रि-हीटिंग फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मेटर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 2.81 टन प्रतिवर्ष होना बताया गया है, जबकि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 0.818 टन प्रतिवर्ष बताया गया था। अतः उक्त प्रदूषण भार की गणना में भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। तदानुसार प्रदूषण भार की पुनः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. समीपस्थ आबादी, स्कूल, अस्पताल आदि संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. भूजल जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रस्तावित एस.टी.पी. की क्षमता तथा ड्राईंग डिजाईन की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तावित परियोजना में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना (कुल रनऑफ की मात्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं पिट्स का विवरण, नंबर एवं साईज सहित) कर ले-आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

11. वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एन.पी. टार प्रोडक्ट्स, प्लॉट नंबर 69–70, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2982)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/457014/ 2023, दिनांक 29/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लॉट नंबर 69–70, कुल क्षेत्रफल–1.42 हेक्टेयर में Coal tar pitch capacity- 20,000 TPA to 70,000 TPA and other byproducts like Creosote oil/ATO capacity- 4,000 TPA to 44,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपए 6.83 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज कोठारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग द्वारा दिनांक 05/07/2023 को निम्न उत्पादन क्षमता हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई:–

Name of Product	Production Capacity
Anti Corrosive Coal Tar Tape	8,100 Metric Tonnes per Annum (Eight thousand one hundred metric tonnes per annum)
Pipe Coating Material	4,800 Metric Tonnes per Annum (Four thousand eight hundred metric tonnes per annum)
Bitumen Tapes	3,500 Metric Tonnes per Annum (Three thousand five hundred metric tonnes per annum)
Anti Corrosive Paints	800 Metric Tonnes per Annum (Eight hundred metric tonnes per annum)
Adhesive & Sealant	500 Metric Tonnes per Annum (Five hundred metric tonnes per annum)
Other coal tar by products (Coal tar pitch)	20,000 Metric Tonnes per Annum (Twenty thousand metric tonnes per annum)
Processed Oil all type	14,400 Metric Tonnes per Annum (Fourteen thousand four hundred metric tonnes per annum)
Cerosoate oil	4,000 Metric Tonnes per Annum (Four thousand metric tonnes per annum)
Primer all type	1,200 Metric Tonnes per Annum (One thousand two hundred metric tonnes per annum)
Water proofing membrane	5,850 Metric Tonnes per Annum (Five thousand eight hundred fifty metric tonnes per annum)
Manufacturing & fabrication of steel, Technological structure, Mechanical equipment, Pressure vessels, Tanks matching, Casting, Boiler, Pressure parts	10,000 Metric Tonnes per Annum (Ten thousand metric tonnes per annum)

जो कि दिनांक 06/07/2018 से दिनांक 05/07/2028 तक की अवधि हेतु वैध है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी बालाजी नगर, भिलाई 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हाउस 2.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भिलाई विमानपत्तन 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तांदुला नदी 200 मीटर दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लीज डीड का विवरण – आवेदित क्षेत्र लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई में है। लीज मेसर्स एम.पी. टार प्रोडक्ट्स के नाम पर है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 16/04/1979 से 15/04/2078 तक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 में निम्नानुसार प्रावधान है:–

(i) The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III State (3)(i)(b) of the EIA Notification, 2006, to the projects or activities located within the industrial estates or parks, if applicable as under:

(a) Which were notified by the Central Government or the State/UT Governments, prior to the said Notification coming into the force on 14th September, 2006.

(b) Which obtain prior environmental clearance as mandated under the EIA Notification, 2006 [Item 7(c) of the schedule to the said Notification]

उक्त प्रावधानों के तहत् लोक सुनवाई से छूट दिये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में उद्योग विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particular	Total Area (m^2)	Area (%)
1.	Existing units	0.215	14.97
2.	Proposed units	0.136	9.47
3.	Rainwater Harvesting	0.024	1.67
4.	Green Belt	0.474	33.01
5.	Utilities	0.061	4.25
6.	Internal Road	0.349	24.30
7.	Miscellaneous	0.177	12.33
	Total	1.436	100

5. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)			Unit
		Existing	Proposed	Total	
1.	Crude Coal Tar / Pitch Creosote Mixture / Granulated Pitch / Soft medium pitch (Liquid and lumps) / Imported pitch	36,000	89,000	1,25,000	MT / Year
Source - SAIL - Bhilai Steel Plant, Rourkela Steel plant, Durgapur Steel plant, RINL - Visakhapatnam Steel plant, IISCO Burnpur, Jindal Steel & Power Limited Augul, Tata Steel Limited, Jamshedpur, Kalinganagar, Epsilon Carbon, Evonith Steel, Wardha etc.					

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Name of the Unit	Product	Quantity			Unit
		Existing	Proposed	Total	
Coal Tar Distillation Plant	Anti corrosive coal tar tapes	8,100	-	8,100	Metric Ton/year
	Pipe coating materials	4,800	-	4,800	Metric Ton/year
	Bitumen Tape	3,500	-	3,500	Metric Ton/year
	Anticorrosive paints	800	-	800	Metric Ton/year
	Adhesive and sealant	500	-	500	Metric Ton/year
	Other Coal Tar products (Coal Tar Pitch)	20,000	50,000	**70,000**	Metric Ton/year
	Processed Oil all types	14,400	-	-	Metric Ton/year
	Primer all types	1,200	-	-	Kilo Liters/year
	Creosote oil/ATO	4,000	40,000	**44,000**	Metric Ton/year

7. कोलतार पिच एवं अन्य बाई–प्रोडक्ट्स के उत्पादन हेतु हॉरिजॉन्टल डिस्टीलेशन इकाई का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल को बैच प्रोसेस डिस्टीलेशन वैसल में डाला जाता है। डिस्टीलेशन वैसल में कच्चे माल को धीरे–धीरे गर्म किया जाता है। डिस्टीलेशन वैसल में ईंधन के रूप में फ्यूल ऑयल का उपयोग किया जाता है। डिस्टीलेशन वैसल में कच्चे माल को गर्म किये जाने के उपरांत कण्डेन्सर के माध्यम से ठण्डा किया जाकर अलग–अलग घनत्व के अनुसार कोलतार पिच, लाईट ऑयल/नैफ्थलिन, क्रियोसोट ऑयल एवं अन्य बाई–प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी (वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी सहित) फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Solid Wastes	Quantity (TPA)		Management
		Existing	Proposed	
1.	Decanter tank tar sludge	35 MT/year	122.5 MT / year	After Treatment to be used within the Premises / to be sold to Authorized Recyclers
2.	Oil and Grease skimming	0.5 MT/year	1.75 MT / year	Reused / to be sold to authorized recyclers / sold to cement manufacturers

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक परियोजना हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन/क्लिनिंग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक परियोजना हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन/क्लिनिंग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जाती है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से किये जाने हेतु संबंधित विभाग/शाखा से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु 13 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 8 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल एवं घरेलू दूषित जल की मात्रा एवं तदानुसार उपचार नियंत्रण की जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 150 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 320 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.474 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 4(बी)(ii) कोलतार प्रसंस्करण इकाईया हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में उद्योग विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में जमा किये जाने के शर्त के अधीन ही बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iv. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 10 to 15m wide green belt all along the pheriphery of the project area & make green belt of atleast 33% of the total area.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. Project proponent shall submit details of water balance chart.

vii. Project proponent shall submit the requirement of water alongwith water balance chart mentioning domestic usage, industrial usage, plantation purpose, dust seppression purpose etc. Accordingly project project proponent shall submit the details of ETP (alongwith process flow chart) and treatment of domestic waste water generation.

viii. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 5 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.– श्री रमेश सुराना, बड़े कमेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी (ए–1)), ग्राम–बड़े कमेली, तहसील–दन्तेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2998)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 457272 एवं 03/01/2024	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4 हेक्टेयर एवं 40,000 से बढ़ाकर 1,85,387 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	796	संलग्न है।
बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छगन सिंह वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 04/04/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश सुराना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 798 क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर क्षमता – 40,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/02/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत् –** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 19/01/2024	वर्ष 2016–17 में निरंक वर्ष 2017–18 में 554.20 टन वर्ष 2018–19 में 6,367.97 टन वर्ष 2019–20 में 2,831.31 टन वर्ष 2020–21 में 4,819.91 टन वर्ष 2021–22 में 12,567.30 टन वर्ष 2022–23 में 37,033.60 टन
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़े कमेली दिनांक 16/09/2003 10 वर्ष हेतु वैध थी।	उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/04/2021	संलग्न है।

500 मीटर	दिनांक 11/05/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 11/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स विराट मिनरल्स अवधि–19/02/2004 से 18/02/2034	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मण्डल, दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 06/08/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बड़े कमेली 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – बड़े कमेली 1 कि.मी. अस्पताल – भनसी 7.2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 25 कि.मी. राज्यमार्ग – 7.2 कि.मी.	तालाब – 1 कि.मी. शुनाकी नदी – 820 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 12,62,014 टन माईनेबल 8,57,090 टन रिक्व्हरेबल 8,14,235 टन प्रस्तावित गहराई 26 मीटर बेंच की ऊंचाई 2 मीटर बेंच की चौड़ाई 2 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष स्थापित एवं प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 1,69,923 टन द्वितीय 1,69,533 टन तृतीय 1,85,367 टन चतुर्थ 1,57,482 टन पंचम 1,74,759 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 6,160 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत बड़े कमेली का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 800 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,45,182 रूपये
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.53 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the valid copy of NOC Gram Panchayat for mining.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the species wise detail, list of trees standing in lease area.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit an affidavit that he will not cut any tree without permission of district collector.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.– श्री रमेश सुराना, बड़े कमेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी(ए–2)), ग्राम–बड़े कमेली, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2998)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 457360 एवं 03/01/2024	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.53 हेक्टेयर एवं 25,000 टन प्रतिवर्ष से 86,346 प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	571	संलग्न है।

बैठक का विवरण	513वीं बैठक दिनांक 13/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छगन सिंह वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 04/04/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री रमेश सुराना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 671 क्षेत्रफल – 1.53 हेक्टेयर क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29/01/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हॉ **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी	दिनांक 19/01/2024	वर्ष 2016-17 में 1,215.98 टन वर्ष 2017-18 में निरंक वर्ष 2018-19 में 6,169.55 टन वर्ष 2019-20 में 2,195.61 टन वर्ष 2020-21 में 3,734.33 टन वर्ष 2021-22 में 11,247.00 टन वर्ष 2022-23 में 21,669.22 टन
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़े करेली दिनांक 16/09/2003 05 वर्ष हेतु वैध थी।	उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/04/2023	संलग्न है।

500 मीटर	दिनांक 11/05/2023	1 खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 11/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स विराट मिनरल्स अवधि–30/01/2004 से 29/01/2034	पूर्व में लीज धारक – मेसर्स पुनिक मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष मालवीय) लीज डीड हस्तांतरण – दिनांक 09/04/2021
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दतेवाड़ा वन मण्डल, दतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/02/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बड़े कमेली 1.57 कि.मी. स्कूल ग्राम – 450 मीटर अस्पताल – भन्सी 8.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 26 कि.मी. राज्यमार्ग – 8.2 कि.मी.	शोकनी नदी 900 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हॉ **रिजर्व –** जियोलॉजिकल 7,89,484 टन माईनेबल 4,01,349 टन रिकव्हरेबल 3,81,281 टन प्रस्तावित गहराई 23 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष स्थापित एवं प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 83,525 टन द्वितीय 82,797 टन तृतीय 82,407 टन चतुर्थ 86,346 टन पंचम 66,261 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,750 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	संलग्न है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत बड़े कमेली का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 260 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 6,13,410 रुपये
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5.63 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iv. Project proponent shall submit the valid copy of NOC Gram Panchayat for mining.

   v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

   ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit the species wise detail, list of trees standing in lease area.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit an affidavit that he will not cut any tree without permission of district collector.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स हल्दीझरिया ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शशि कुमार अग्रवाल), ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2896)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 434928 /2023, दिनांक 25/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हल्दीझरिया, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक

326, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,970.52 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशि कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**
   - i. पूर्व में साधारण पत्थर खसरा क्रमांक 326, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–13,393.52 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की थी।
   - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 218/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 14/02/2024 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
21/02/2017 से 31/03/2017	निरंक
2017–18	225
2018–19	85
2019–20	105
2020–21	45
2021–22	50
2022–23	60
2023–24 (सितम्बर 2023 तक)	15

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खाड़माचा का दिनांक 11/09/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईस्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1306A/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 02/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 218/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 21/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 218/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 21/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित है। पक्की सड़क 110 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री शशि कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2007 से 05/02/2037 तक की अवधि हेतु वैध है। पूर्व में लीज श्री नवनीत कुमार अग्रवाल के नाम पर थी, जिसका हस्तांतरण दिनांक 30/07/2020 को किया गया।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2006/5679, दिनांक 13/11/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हल्दीझरिया 500 मीटर, स्कूल ग्राम–लुड़ेगा 9 कि.मी. एवं अस्पताल पत्थलगांव 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.8 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.5 कि.मी., झील 2.5 कि.मी. एवं तालाब 440 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,40,000 टन माईनेबल रिजर्व 49,852 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 44,867 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,760 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, जिसे 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसका स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,970.52
द्वितीय	9,970.52
तृतीय	9,970.52
चतुर्थ	9,970.52
पंचम	9,970.52

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार (नीम, अर्जुन, आम, सीसम) पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 12,000 रूपये, तथा रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 73,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 1,99,600 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान केएमएल फाईल से अवलोकन करने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – रिवाईस्ड क्वारी प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में हॉल रोड, रैम्प डेव्हलपमेंट एवं स्लोप निर्माण के लिए 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at, **Village-Haldijhariya**	
			Plantation	0.46
			Total	**0.46**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–हल्दीझरिया तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (नीम, आम, अर्जुन, कटहल एवं सीसम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,200 रूपये एवं सिंचाई के लिए राशि 12,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,96,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खाड़माथ का सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. रेस्टोरेशन उपरांत 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में कम से कम 1,000 नग पौधों के रोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (DPR) सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर की गई फेंसिंग, सीमांकन चिन्ह तथा रोपित पौधों के फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

5. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स कोटराबुंदेली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.—श्री लाल शौर्यजीत सिंह), ग्राम—कोटराबुंदेली, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2478)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430705/2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—कोटराबुंदेली, तहसील—सहसपुर लोहारा, जिला—कबीरधाम स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक—186, कुल क्षेत्रफल—2.875 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—10,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 28/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/02/2024 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/04/2024 के माध्यम से बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार-बार अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 26/09/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स दर्री डोलोमाईट क्वारी (प्रो.- श्री राम केडिया), ग्राम-दर्री, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2606)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 437781/2023, दिनांक 26/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दर्री, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 469/2, कुल क्षेत्रफल-3.17 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-64,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/02/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार अपरिहार्य कारणों का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 27/09/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/05/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स चौरसिया इंडस्ट्रीज, ग्राम–देलारी, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2589)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी1/436122/2023, दिनांक 10/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–देलारी, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित प्लाट नंबर 41, कुल क्षेत्रफल–1.77 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन कम एक्सपांशन ऑफ रोलिंग मिल (रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष एवं प्रस्तावित हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल थ्रू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष) कुल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 2.76 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/10/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयप्रकाश सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/04/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार कर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रस्तुतीकरण हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बार–बार अपरिहार्य कारणों/वांछित जानकारी अपूर्ण होने का लेख करते हुये समय दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जिससे समिति का अनावश्यक समय नष्ट हो रहा है।
2. समिति की बैठक दिनांक 12/10/2023 में लिए गये निर्णय अनुसार वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

पूर्व में समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की 146वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार "जो परियोजना प्रस्तावक दो बार प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहेंगे उसको तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन को पोर्टल से डि–लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा लिया जावेगा" है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3: **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स एम.एस.के. यदु ब्रिक्स (प्रो.– श्री शत्रुहन यदु, नंदनिया सेण्ड माईन), ग्राम–नंदनिया, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2709)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446115 एवं 19/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 89,820 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–1/1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	504वीं बैठक दिनांक 21/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शत्रुहन यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10 / 10 / 2023	
चिन्हांकित / सीमांकित	दिनांक 10 / 10 / 2023	
500 मीटर	दिनांक 10 / 10 / 2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10 / 10 / 2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स एम.एस.के. यदु बिल्डर्स, प्रो.– श्री शत्रुघन यदु दिनांक – 28 / 08 / 2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–पाहंदा 830 मीटर, नंदनिया 1.35 कि.मी. स्कूल ग्राम–पाहंदा 750 मीटर अस्पताल– कसडोल 10.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 9.45 कि.मी. राज्यमार्ग– 10.2 कि.मी.	नाला– 2.25 कि.मी. नहर– 1.15 कि.मी. तालाब– 1.25 कि.मी. एनीकट– 1 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 760 मीटर, न्यूनतम 750 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 345 मीटर, न्यूनतम 331 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 163 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 125 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 5.2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,820 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.2 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 15 / 06 / 2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। भूमि (खसरा क्रमांक 19(पार्ट), क्षेत्रफल 0.625 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,34,000 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	अप्राप्त	परियोजना से संबंधित समस्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
25.81	2%	0.5162	Following activities at. **Village- Parsada**	
			Plantation around Pond	0.543
			Total	**0.543**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 23 नग पौधों के लिए राशि 2,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,450 रूपये, खाद के लिए राशि 1,725 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,475 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,900 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम परसदा के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 324, क्षेत्रफल 0.967 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02 / 08 / 2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08 / 01 / 2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सैंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन

प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 504वीं बैठक दिनांक 21/12/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसदा का दिनांक 13/01/2024 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/744, बलौदाबाजार, दिनांक 09/02/2024 से जारी स्थल प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निम्नानुसार है:–
   - आवेदित भूमि आरक्षित वन/संरक्षित वन/ऑरेंज एरिया की श्रेणी में नहीं आता है तथा आवेदित लीज की भूमि का कक्ष क्रमांक 143 की सीमा से 1.74 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
   - आवेदित लीज क्षेत्र की निकटतम वन्यजीव अभ्यारण बारनवापारा 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
   - आवेदित लीज क्षेत्र से निकटतम टायगर रिजर्व उदन्ती–सीतानदी, गरियाबंद 160 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
3. नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत परसदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत परसदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छःमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि

एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स एन.एस.के. यदु बिल्स (प्रो.- श्री शत्रुहन यदु, नंदनिया सेण्ड माईन) को ग्राम-नंदनिया, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्रफल-4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,910

घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करण भानुशाली), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2080)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77456/2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/443493/ 2023, दिनांक 08/09/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 263/1, 279/1, 279/2, 279/3 एवं 280/1, कुल क्षेत्रफल–4.44 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,07,100 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1817, दिनांक 29/12/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 08/11/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र भानुशाली, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स इको कन्सलटेन्ट सर्विसेस, लखनऊ की ओर से डॉ. शशांक शेखर मिश्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टिकनपाल का दिनांक 28/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 886/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 14/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 232/खनिज/ख.लि. 4/02/2021–22/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 229/खनिज/ख.लि. 4/02/2021–22/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री करण भानुशाली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1960/खनिज/ख.लि.4/02/2021–22/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 14/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4950/खनि 02/उ.प. –अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/09/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 16/08/2023) की अवधि हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 283/1, 279/2 एवं 280/1 श्री प्राग्य भानुशाली, खसरा क्रमांक 279/1, 279/3 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.उ.अ./884 जगदलपुर, दिनांक 01/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 505 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टिकनपाल 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–टिकनपाल 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल बपका 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मारकण्डी नदी 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,85,000 टन, माईनेबल रिजर्व 10,71,000 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,17,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,020 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 36,380 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,07,100	षष्टम	1,07,100
द्वितीय	1,07,100	सप्तम	1,07,100
तृतीय	1,07,100	अष्टम	1,07,100
चतुर्थ	1,07,100	नवम	1,07,100
पंचम	1,07,100	दशम	1,07,100

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	24.2	59.8	60
PM_{10}	45.3	75.2	100
SO_2	4.61	19.6	80
NO_2	10.8	28.1	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	52.5	64.6	75
Night L_{eq}	42.1	54.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत (पी.सी.यू., कुल पी.सी.यू. एवं व्ही / सी अनुपात संबंधी गणना कर) ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. जी.एल.सी. की गणना:—

S No.	Parameters	Baseline at project site (µg/m3)	Incremental Value	Total GLC (µg/m³)
1.	PM_{10}	71.00	0.98785	71.98785
2.	$PM_{2.5}$	48.97	0.57428	49.54428

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 21/07/2023, प्रातः 11:00 बजे, स्थान — ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, ग्राम—टिकनपाल, तहसील व जिला—बस्तर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर के पत्र दिनांक 24/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान — क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at nearby, Village-Tikanpal	
			Pavitra Van Nirman	2.908
			Total	2.908

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बढ़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 98,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,92,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत टिकनपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 26 क्षेत्रफल 3.14 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कम से कम 2,000 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्माहित करते हुये वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत (पी.सी.यू., कुल पी.सी.यू.एवं व्ही/सी अनुपात संबंधी गणना कर) ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
5. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 53/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 20/12/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

2. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 36,380 घनमीटर है, जिसका भण्डारण सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 276, क्षेत्रफल 0.46 हेक्टेयर) में किया जाकर उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भराव में उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर 1,300 नग वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रथम वर्ष में राशि 2,60,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों हेतु राशि 2,79,500 रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत (पी.सी.यू., कुल पी.सी.यू.एवं व्ही/सी अनुपात संबंधी गणना कर) ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में 563 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.02 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 300 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 863 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.03 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Category 'A') के भीतर है।

5. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

   i. ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

   ii. ब्लास्टिंग से नुकसान न हो ब्लास्टिंग करते समय गांव वालों को सूचित किया जाये, किसी प्रकार का तकलीफ न हो, छोटे स्तर पर ब्लास्टिंग करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. स्थानीय लोगों को रोजगार दी जायेगी।

ii. ब्लास्टिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ब्लास्टिंग का समय निर्धारित किया जाएगा, ब्लास्टिंग से पहले सायरन बजाया जाएगा ताकि उस समय पर कोई भी व्यक्ति या जानवर वहां पर ना हो और ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर ही की जाएगी।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 12 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 3 कि.मी.	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
क्लस्टर पहुंच मार्ग (3 कि.मी.) के दोनों तरफ (9,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	18,00,000	8,10,000	6,75,798	5,40,000	2,70,000
सड़क/पहुंच मार्ग के रख–रखाव हेतु	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प्स फॉर विलेजर्स एवं अन्य खर्च	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 70,35,798	**23,88,000**	**13,98,000**	**12,63,798**	**11,28,000**	**8,58,000**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 200 मीटर,	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500

सड़क/पहुंच मार्ग के रख-रखाव एवं हेल्थ चेकअप कैम्प्स फॉर विलेजर्स					
200 मीटर मार्ग के दोनों तरफ, तीन लाईन में (600 नग) वृक्षारोपण (नीम, जामुन, करंज, अर्जुन आदि) हेतु	1,20,000	54,000	36,000	21,000	18,000
कुल राशि = 4,96,500	**1,69,500**	**1,03,500**	**85,500**	**70,500**	**67,500**

कॉमन इन्वायरमेन्टल मैनेजमेंट प्लान के तहत् कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 232/खनिज/ख.लि.4/02/2021–22/खनिज/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 15/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) का क्षेत्रफल 4.44 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 15.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करण भानुशाली) को ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 263/1, 279/1,

279/2, 279/3 एवं 280/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.44 हेक्टेयर, क्षमता–1,07,100 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2460)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430564/2023, दिनांक 24/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद, कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग 80 करोड़ रुपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर स्वरूप, एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर (माईन्स), श्री हेमंत दोशी, जनरल मैनेजर (माईन्स) एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, विवेकानंद पाथ, पी.ओ. दौरान्दा, जिला–रांची, झारखंड की ओर से श्री शुभमय अदक उपस्थित हुए। । समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
   i. The proposal of M/s Bhilai Steel Plant (BSP), a subsidiary of Steel Authority of India Ltd (SAIL), is for mining of Iron Ore with enhancement of production capacity from 2.0 MTPA to 3.5 MTPA (ROM) in the MLA of 220.42 ha. The mine is located at Iron Ore Complex (IOC) Dalli Rajhara, Tehsil Dondi District Balod, Chhattisgarh.
   ii. TOR for the Proposal was accorded by to Ministry of Environment, Forest & Climate Change in its 33rd meeting and issued on 09.06.2015.

iii. Proposal for EC along with final EIA submitted to Ministry of Environment, Forest & Climate Change on 09.12.2017. EAC (Non-Coal Mining) held on 26th Feb 2018.

iv. EAC rejected the proposal with following comment in Minutes of Meeting and also in letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018. "The proposal was received online and accordingly it was considered by the Expert Appraisal Committee in its meeting held during February 26-27, 2018 wherein the PP informed the Committee that they had never taken EC neither under EIA Notification, 1994 nor EIA Notification, 2006 and mine is operating since 1958. In view of above, EAC mentioned that this is a case of violation as PP had not taken EC under the provisions of the EIA Notification 1994/2006 and the instant proposal may be rejected and appraised as per the provisions of the violation Notification issued by the MoEF&CC vide S.O. 804 (E) dated 14th March 2017. The Committee is also of the view that the Consultant is to be warned that they had to guide properly to the PP so that such case should not have come to this Committee with a letter be written to QCI-NABET for necessary action."

v. Against decision as taken in the minutes of the 28TH EAC Meeting held on 26TH-27TH February 2018 rejecting the proposal of SAIL for grant of EC, as informed vide letter no. J-11015/167/2015-IA.II (M) dated 26.03.2018, SAIL being aggrieved, have filed Writ Petition (Civil) No. 1734 of 2018 before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur praying, amongst others, to quash the letters dated 26.03.2018 and to issue appropriate directions to the department to consider our proposal of EC for enhancement of production capacity for iron ore complex-Pandridalli and Rajhara Pahar Iron Ore Mines in the District of Balod, Chhattisgarh.

vi. In view of the approaching deadline of the validity of lease till 27.04.2023, on 16.12.2022, SAIL made an IA in the pending Writ Petition 1734/2018 before Hon'ble Chhattisgarh High Court, to consider the proposal for grant of EC for the purpose of getting the extension of mining lease period of Pandridalli and Rajhara Pahar Mines Lease beyond 27.04.2023 and to maintain continuity of mining operations.

vii. On order dated 20.12.2022 Hon'ble Chhattisgarh High Court, directed the Chhattisgarh State Government to ensure that the application put forth by the BSP/SAIL for renewal of their lease deed which is coming to an end on 27.04.2023 be processed in accordance with law without insisting for the environmental clearance certificate.

viii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 393/खनि.लि./एम.एल./2022 बालोद, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)	वर्ष	उत्पादन (R.O.M. टन में)
1993–94	27,94,788	2008–09	11,24,190
1994–95	26,68,163	2009–10	15,76,000
1995–96	25,39,338	2010–11	15,38,050

1996–97	22,02,029	2011–12	16,56,030
1997–98	14,36,362	2012–13	13,53,160
1998–99	10,65,000	2013–14	10,27,008
1999–2000	8,92,750	2014–15	17,59,036
2000–01	8,87,100	2015–16	19,67,283
2001–02	8,61,650	2016–17	15,40,031
2002–03	9,33,850	2017–18	17,17,183
2003–04	15,47,650	2018–19	14,59,170
2004–05	13,36,900	2019–20	12,48,921
2005–06	10,87,900	2020–21	13,25,774
2006–07	10,04,650	2021–22	14,00,158
2007–08	11,27,650		

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयरन ओर क्षमता–4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/03/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक RPR/BALOD/IRON ORE/1374/RMP/2022-23 दिनांक 31/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **लीज संबंधी विवरण –**

- पूर्व में मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील प्राईवेट लिमिटेड (भिलाई स्टील प्रोजेक्ट), भिलाई के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 22/04/1960 द्वारा 30 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1958 से दिनांक 31/05/1988 की अवधि के लिए ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़ के कुल रकबा 720 एकड़ (291.498 हेक्टेयर) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनि पट्टा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के पक्ष में 241.76 हेक्टेयर (आवेदित क्षेत्र में से 120 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन विभाग द्वारा सिर्फ 121.76 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिपट्टा नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।) मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 3–119/88/12/3/1/5 भोपाल, दिनांक 05/08/1993 द्वारा 10 वर्ष हेतु खनिपट्टा का प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसकी

अवधि दिनांक 01/06/1988 से 31/05/1998 तक थी। द्वितीय नवीनीकरण मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 04/03/1999 द्वारा 5 वर्ष अर्थात दिनांक 01/06/1998 से दिनांक 27/04/2003 की अवधि के लिए विस्तारित की गई थी। तृतीय नवीनीकरण छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 03/01/2006 एवं दिनांक 15/04/2005 द्वारा 20 वर्षों अर्थात दिनांक 28/04/2003 से दिनांक 27/04/2023 की अवधि के लिए कुल रकबा 241.76 हेक्टेयर में से 220.42 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तारित की गई।

- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–21/2022/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है।

5. **फॉरेस्ट क्लियरेंस संबंधी विवरण** – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उपर्युक्त सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार 121.76 हेक्टेयर के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग में लौह अयस्क के खनन के लिए भिलाई स्टील प्लांट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर वन भूमि का आवंटन"** होना बताया गया है। वन विभाग की अनापत्ति 10 वर्षों अर्थात दिनांक 28/04/1993 से दिनांक 27/04/2003 तक जारी की गई थी तत्पश्चात् वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रथम नवीनीकरण भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 28/04/1993 द्वारा जारी पत्र 06/04/2004 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गहन विचारोपरान्त एवं उपरोक्त सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। केंद्र सरकार इसके द्वारा भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में पंडरी दल्ली राजहरा हिल्स खदानों के लिए पहले से ही टूटी हुई 100.76 हेक्टेयर वन भूमि पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अपनी मंजूरी देती है। जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन"** दिनांक 28/04/1993 से 27/04/2023 तक जारी की गई थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01/04/2015 के अनुसार **"खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 8(अ) के उपनियम 1 में निर्दिष्ट खनिजों के लिए व्यपवर्तित वन भूमि की अवधि के विस्तार की वैधता खनिपट्टे की लीज अवधि के सह–मियादी (coterminous) होगी।"** समिति का मत है कि विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम जमरूवा 700 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन दल्ली राजहरा 1.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.24 कि.मी. दूर है। कुसुम नाला 600 मीटर, तांदुला नदी 2.5 कि.मी., राजहरा बांध 1.6 कि.मी., बोरीडीह बांध 6.7 कि.मी. एवं जमरूवा टैंक 300 मीटर दूर है।

7. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. लीज क्षेत्र के बफर जोन के अंतर्गत आरक्षित वन पिचाकेट्टा, राजोबिडीह, धनौवापानी, मगधी जबकला, नाधुर एवं संरक्षित वन दल्ली, लिमोडीह, मारडेल, रनवाही है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 35.57 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 20.17 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 16.14 हेक्टेयर है। ओपन पिट माईनिंग विथ शॉवेल एण्ड डम्पर/टिपर कॉम्बिनेशन फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। पहाड़ी सतह से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई राजहरा क्षेत्र में लगभग 152 मीटर एवं पश्चिम कोकन में लगभग 41 मीटर है। बेंच की अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। डिप होल लार्ज डाया ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	ROM Production (Tonnes)	Waste (OB) in Tonne
2023-24	21,40,000	51,44,018
2024-25	21,40,000	51,47,384
2025-26	21,40,000	52,89,231
2026-27	21,70,000	54,15,508
2027-28	35,00,000	91,00,000

10. वेस्ट डम्प प्रबंधन योजना :–

Dump Area	Present			Conceptual		
	Quantity	Height in meter	Area in Ha.	Quantity	Height in meter	Area in Ha.
Chikali	26.0 MT	82	36.66	77.0 MT	105	46.66
Kokan West	1.57 MT	18	3.80	-	-	3.80

11. **जल आपूर्ति** – वर्तमान में परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1,166 घनमीटर प्रतिदिन है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु आवश्यक जल की कुल मात्रा 3,241 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थिति तक कुल 31.05 हेक्टेयर में लगभग 50,325 नग पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें से लगभग 40,347 नग पौधे जीवित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023–24 में 5 हेक्टेयर में लगभग 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है।

14. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu g/m^3$)	Maximum ($\mu g/m^3$)	CPCB Standard ($\mu g/m^3$)
$PM_{2.5}$	16	39	60
PM_{10}	37	86	100
SO_2	8.2	22.6	80
NO_2	10.3	28.3	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	43.4	78.9	75
Night L_{eq}	32.5	67.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से अधिक है। परिवेशीय ध्वनि स्तर का मान क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से अधिक 78.9 डीबी(ए) है। समिति का मत है कि उक्त स्टेशन के समीप ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

v. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. मॉनिटरिंग कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 08/06/2022 में उल्लेखित "(iii) The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC. (iv.) At the time of application for EC, in case baseline data is older than three years, but less than five years old in the case of River valley and HEP Projects, or less than four years old in the case of other projects, the same shall be considered, subject to the condition that it is revalidated with one season fresh non-monsoon data collected after

three years of the initial baseline data." के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

vii. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकत्रित करने का कार्य मार्च, 2015 से मई, 2015 के मध्य किया गया था। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता मई, 2018 तक की है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

15. समिति का मत है कि परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 27/10/2017 प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत हाथकरघा, वस्त्र बुनाई कार्यशाला के सामने, ग्राम–साल्हे, विकासखण्ड–डौण्डी, जिला–बालोद में संपन्न हुई।

17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा दिनांक 17/04/2020 को निम्न आदेश जारी किया गया है–

"Be that as it may, the fact remains that the petitioner has now moved the application for grant of environmental clearance certificate which is under consideration before the respondent No. 2. Foreseeing the fact the present mining lease that the petitioner has, expires on 27.04.2023 and also taking note of the fact that the respondents do not dispute or take a stand that the petitioner is not entitled for grant of environmental clearance certificate, ends of justice would meet, if the Writ Petition as of now is kept pending with a direction to the respondent No. 2 to ensure that the application for grant of environmental clearance is considered on priority basis taking into consideration the short period of time left for the mining lease period of the petitioner.

Accordingly, the respondent No. 2 is expected to take a decision before the expiry of period of mining lease i.e. on 27.04.2023. The decision of the respondent no. 2 would enable the petitioner to purse their application for renewal of the mining lease.

The Respondent No. 2 would also consider the far reaching ramifications as a consequence of the environmental clearance not being granted. The Respondent No. 2 would also consider the fact that the petitioner is a "Maharatna" Company. Subject ofcourse the petitioner meeting all the other requirements under the Rules for obtaining the E.C.

certificate, except the fact of the petitioner not having E.C. certificate for the past years, the effect of which would be subject to the outcome of the present writ Petition.

20. डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही किये जाने का अभिमत है:–

i. वित्तीय वर्ष 1993–94 से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से अद्यतन स्थिति तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) के अनुसार वार्षिक टर्नओवर की जानकारी प्रस्तुत किया जाए। (IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL ORIGINAL JURISDICTION WRIT PETITION (CIVIL) NO. 114 OF 2014 da Page 96 of 114)

ii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।

iv. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

v. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले प्रस्तावित पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

vi. भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

vii. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

viii. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

ix. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

x. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।

xi. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

xii. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान (ई.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

xiii. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–8) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xiv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

xv. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) प्रस्तुत किया जाए।

xvi. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।

xvii. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

21. **समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है:–**

i. **श्री डी. राहुल वेंकट**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक v, x, xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है तथा अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिपेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

ii. **श्री एन.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत में से बिन्दु क्रमांक i के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संदर्भ में यह जानकारी मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक v के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर के पट्टी में वृक्षारोपण हो चुका है। जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया जा चुका है।

बिन्दु क्रमांक vi के परिपेक्ष्य में लौह अयस्क परिवहन खनन पट्टे के ही अंदर खनन पश्चात् लीज क्षेत्र के अंदर से ही रेलवे रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है। अतः इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बिन्दु क्रमांक vii के परिपेक्ष्य में जी. एल. सी. की गणना ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित है, जो निर्धारित मापदण्ड के भीतर है।

बिन्दु क्रमांक x के परिपेक्ष्य में फ्लोरा एवं फौना का अध्ययन वन्य प्राणी संरक्षण योजना यदि प्रस्तुत करना आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति के

शर्तों में समाहित करते हुए 6 माह या 1 वर्ष समय दिया जाकर स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक xiv के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है। जिसमें समिति को इस प्रकरण न भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें लोक सुनवाई हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्यांकन करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा।

ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई तिथि वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन केवल एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के ऑफलाईन से ऑनलाईन प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अतः इस प्रकरण में जिस समय (अतः वर्ष 2017) पर्यावरण स्वीकृति के लिए ऑफलाईन आवेदन किया गया उस समय बेस लाईन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं थी। साथ ही यह प्रकरण, जैसा कि पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा दिनांक 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई एवं बेस लाईन डाटा पूर्ण की जा चुकी है।

बिन्दु क्रमांक xv के परिप्रेक्ष्य में विस्तारित खनि पट्टा अवधि तक के लिए फारेस्ट क्लियरेंस प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

बिन्दु क्रमांक xvi के परिप्रेक्ष्य में वन्य प्राणी संरक्षण योजना को पी.सी.सी.एफ. से अनुमोदन करवाकर प्रस्तुत करने के संदर्भ में शपथ पत्र के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा करना उचित होगा।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

iii. **डॉ. मनोज कुमार चोपकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि अध्यक्ष महोदय के अभिमत बिन्दु क्रमांक xiv के परिप्रेक्ष्य में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त ई.आई.ए. स्टडी कराया जाए। इससे सतत् पर्यावरणीय अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित होगी।

उपरोक्त तथ्यों को समाहित करते हुये बिन्दु क्रमांक xv एवं xvi को जब पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार किया जाएगा तब सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की जा सकती है।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के अभिमत के अन्य बिन्दुओं पर सहमति है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी., छ.ग. एवं सदस्यों, एस.ई.ए.सी., छ.ग. के अभिमत में भिन्नता होने के कारण बहुमत के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. बिन्दु क्रमांक 20 के (i) से (xvi) तक की चाही गई जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के समक्ष चर्चा हेतु प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/10/2023 को संपन्न 156वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में समय–समय पर जारी आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की 156वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटपिटिशन (सिविल) क्र.114/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02/08/2017 के पृष्ठ क्र. 96 में पैरा 3 में वर्ष 1993–94 से अद्यतन स्थिति तक उत्पादन की जानकारी का उल्लेख है। आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) प्रस्तुत करने का उल्लेख प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वर्ष 1993–94 से उत्पादन के आंकड़े ऑनलाईन आवेदन के दौरान प्रस्तुत किये जा चुके है। समिति का मत है कि उल्लंघन के प्रकरण में आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) प्रस्तुत करने से वार्षिक टर्नओवर की जानकारी प्राप्त होगी।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1427, दिनांक 18/08/2023 द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तो का पालन पूर्ण रूप से किया जाना बताया गया है।
3. सी.ई.आर. की गणना हेतु परियोजना की कुल लागत 80 करोड़ रुपये का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। इस बाबत् सैन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर अथॉरिटी से 1974.8 किलोलीटर प्रतिदिन हेतु ई–मेल के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त अनुमति (Approval mail) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है। अतः भारतीय खान ब्यूरो के मानक अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण (कॉमन बाउण्ड्री को छोड़कर) किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या, प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लौह अयस्क का परिवहन खनिपट्टे के भीतर ही किया जाता है। खनिपट्टे से बाहर लौह अयस्क को रेल्वे ट्रैक द्वारा डिस्पैच किया जाता है।

7. परिवेशीय वायु प्रभाव हेतु जी.एल.सी. की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है–

Air Environment in core zone – Post project scenario ($\mu g/m^3$) 24 hourly concentrations	**Suspended Particulate matter (PM_{10}) (max)**
Baseline scenario (max)	83
Perdicted ground level concentrations (max)	6.6
Resultant concentrations	89.6
NAAQ Standards	100

8. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

   i. खदान के कारण हैंडपंप का उपयोग करने पर लाल रंग का दूषित जल आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा 5 एच.पी. की क्षमता का बोरवेल एवं टंकी का निर्माण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है ताकि समस्त घरों में पानी की व्यवस्था हो सके।

   ii. जमकसा की ओर बहने वाले लौह अयस्क युक्त मिट्टी के रोकथाम, मलजुवर जलाशय से मिट्टी की सफाई एवं खेत में लाल पानी की शिकायत के लिए उपाय किये जाए।

   iii. प्रशिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार स्थाई नौकरी दिया जाए।

   iv. बोईरडीह जलाशय से सिंचाई हेतु किसानों को पानी दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–

   i. दूषित जल के उपाय हेतु सालहे गांव में सौर आर.ओ. प्लांट स्थापित किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् दो वर्षों के भीतर एक और सौर आर.ओ. प्लांट स्थापित किया जाएगा।

ii. प्रबंधन द्वारा गांव की ओर बहने वाले लौह अयस्क मुरूम मिट्टी के रोकथाम के लिए 4 स्टेप बांध का निर्माण किया गया है तथा जमा मुरूम मिट्टी के डिसिल्टिंग का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

iii. शैक्षणिक योग्यता के अनुसार खुली विज्ञापन के माध्यम से सेल भर्ती नीति के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है।

iv. बोईरडीह बांध (बी.एस.पी. का कैप्टिव बांध) में उपलब्ध पानी का उपयोग बी.एस.पी. माईन्स टाउनशीप दल्लीराजहरा में पीने व घरेलू उपयोग और राजहरा व दल्ली क्रशिंग संयंत्र में औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। सिंचाई के उद्देश्य से पानी किसानों को दिये जाने हेतु अतिरिक्त पानी बांध में उपलब्ध नहीं रहता है।

9. गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है। गारलेण्ड ड्रेन, चेक डेम एवं जल निकास की जानकारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की पर्यावरण प्लान में उल्लेखित है। माईनिंग प्लान का अनुमोदन ऑनलाईन होने के कारण आई.बी.एम. की सील प्लान पर नहीं दिखती है।

10. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

11. Ground Vibrational Study Report की प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही Frequency of Blasting की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है।

12. इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान (ई.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है।

13. क्रशिंग प्लांट के समीप (स्टेशन–6) में ध्वनि स्तर को CPCB Standard (75 डीबी(ए)) से कम रखे जाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार The baseline data and Public Hearing की अवधि की वैधता समाप्ति उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में नवीन बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का निम्नानुसार कथन है:–

1) यह प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 1734/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27/04/2023 के तारतम्य में दिए गये आवेदन से संबंधित है, जिसमें समिति को इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है। अतः इस प्रकरण में जिसमें की लोक सुनवाई (public hearing) हो चुकी है। अतः अब समिति को ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा 7 के अनुसार मूल्यांकन (appraisal) करना है। पुनः लोक सुनवाई एवं बेसलाइन डाटा कराने के बिंदु को समाहित करने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी।

2) इसके अतिरिक्त इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 11189/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13/10/2017 के निर्णय, जिसमें लोक सुनवाई को निश्चित रूप से एक ही बार करने को निर्देशित है, को भी दृष्टिगत रखना होगा। इस निर्णय के सारांश को निम्नानुसार उद्धृत किया है।

Conclusion

We record the submissions of the learned Additional Solicitor General that (a) public hearing can be read into paragraph 5 of the impugned notification and (b) this shall certainly and clearly be a one time measure.

इसी निर्णय के अनुसार सेल की ओड़ीशा राज्य में स्थित लौह अयस्क खनि पट्टे को पुनः लोक सुनवाई से छूट दी गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु सेल की झिलिंगबुरु–1 खदान, जिसकी लोक सुनवाई 2016 में पूर्ण हो चुकी थी, ToR संशोधन वर्ष 2022 के दौरान पुनः लोक सुनवाई को माननीय मद्रास उच्च न्यायलय के इसी निर्णय को आधार मानकर छूट प्रदान की गई ।

3) प्रस्तुत आफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 में स्पष्ट है कि बेस लाइन डाटा एवं लोक सुनवाई की तिथि, पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति आवेदन की तिथि वर्ष 2017 है एवं लोक सुनवाई की तिथि भी वर्ष 2017 है। वर्तमान में किया गया आवेदन मात्र MoEFCC के Offline esa Online प्रक्रिया में जाने से हुई तकनीकी परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। यह प्रकरण, जैसा की पूर्व में इंगित है माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के निर्देश से संबंधित है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रकरण को भारत सरकार द्वारा 26/03/2018 तक पूर्ण किये गये स्तर के बाद से मूल्यांकन करना है, जिसमें लोक सुनवाई (public hearing) एवं बेसलाइन डाटा पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकरण को माननीय मद्रास उच्च न्यायलय द्वारा रिट पिटीशन क्र. 11189/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के सन्दर्भ में भी देखा जाना उचित होगा।

4) इस संबंध में समिति के 3 माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया अभिमत स्वतः व्याख्यात्मक है। उपरोक्तानुसार एस.ई.ए.सी. के इस बिन्दु को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1960 से संचालित है एवं बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई को कराये अधिक समय हो गया है। वर्तमान में आवेदन अनुसार क्षमता में वृद्धि हो रहा है। अतः अद्यतन स्थिति में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाना आवश्यक है।

15. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 20 वर्ष के लिए यथा दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि के लिए शर्तों के अधीन खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् विस्तारित उत्पादन क्षमता एवं विस्तारित खनिपट्टा अवधि दिनांक 27/04/2043 तक के लिए वन भूमि के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिपट्टे के विस्तारीकरण की स्थिति में पृथक से फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की आवश्यकता नहीं है। इस बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली

द्वारा जारी आदेश दिनांक 01/04/2015 की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि दिनांक 28/04/2023 से 27/04/2043 तक की अवधि हेतु खनिपट्टा विस्तारित किया गया है। चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन क्षेत्र में कार्य नहीं किये जाने का उल्लेख है। अतः फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की वैधता वृद्धि की प्रति प्राप्त होने उपरांत वन क्षेत्र में कार्य किया जाना है।

16. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा प्रदान करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उल्लंघन के प्रकरण में आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) वार्षिक टर्नओवर की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या, प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किया जाए।
4. चूंकि यह खनिपट्टा वर्ष 1980 से संचालित है एवं बेसलाईन डाटा एवं लोक सुनवाई को कराये अधिक समय हो गया है। वर्तमान में आवेदन अनुसार क्षमता में वृद्धि हो रहा है। अतः अद्यतन स्थिति में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य किया जाए।
5. फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest Clearance) की वैधता वृद्धि की आदेश प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) से कराकर प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (ईको पार्क हेतु डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
8. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण में आदेश जारी किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उल्लंघन के प्रकरण में आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) वार्षिक टर्नओवर के संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-

   i. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी आफिस मेमोरेंडम दिनांक 07/07/2021 के बिंदु 12 बी (एच) परिप्रेक्ष्य में यह जानकारी भविष्य के लिए मांगा जाना प्रतीत होता है, इस सम्बन्ध में लेख है कि उपरोक्त आफिस मेमोरेंडम को वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02/01/2024 में जारी निर्देश द्वारा इसके प्रचलन को stay किया गया है।

   ii. यह खनि पट्टा कैप्टिव उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है एवं वर्तमान में इस खनि पट्टे का स्वतंत्र रूप से आडिटेड बैलेंस शीट एवं टर्न ओवर नहीं बनाया जाता है। समिति के निर्णयानुसार इस खनि पट्टे का स्वतंत्र रूप से आडिटेड बैलेंस शीट एवं टर्नओवर बनाये जाने हेतु सम्भावना तलाशी जा रही है।

   iii. सेल, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है एवं भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य कोई न्यायिक निर्देश के परिपालन में देने की आवश्यकता पड़ने पर आंकड़ो में शुद्धता रखने को सेल प्रतिबद्ध है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 3.05 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,625 नग पौधों (युकिलिप्टस, अरकेसिया, शिशो, पेल्टाफोर्म, करंज, अकासिया) का रोपण किया गया है, जिसमें से 6,104 नग पौधे जीवित है, जिस हेतु त्रि-पक्षीय मुल्यांकन (Society Environment & Integrated Development Raipur) से सत्यापन कराया जाना बताया गया है।

3. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से 25,00,000/- रूपये का Budgetary offer लेकर कार्य प्रारंभ कर दिया है एवं आगामी 4-5 महीनों में यह कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4. बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अद्यतन स्थिति मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है।

5. फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि बाबत् वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में आवेदन किया गया है। चूंकि फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि अब Deeming provision में है। यह परिवर्तन दिनांक 02/11/2021 को खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाये गये खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन खनिजों से भिन्न) रियायत नियम 2016 के नियम 72 के अंतर्गत "सरकारी कम्पनी द्वारा खनन" को सम्मिलित करने के पश्चात् किया गया है। इस नियम में सरकारी कम्पनी को विशेष अधिकार देते हुये 50 वर्ष की अवधि समाप्ति पश्चात् एक समय में अतिरिक्त 20 वर्षों का अवधि विस्तारीकरण Deeming provision के अंतर्गत रखा गया है।

6. Endangered flora & Fauna Biodiversity conservation plan प्रस्तुत किये जाने के संबंध में जानकारी उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में उल्लेखित है।

7. सी.ई.आर. हेतु सभी वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए सेल वचनबद्ध है। उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 में दिये गये राज्य सरकार को प्रस्ताव में भी ईको पार्क हेतु डी.पी.आर. सम्मिलित है।

8. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष, WPC No. 1734 of 2018 विचाराधीन है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् फारेस्ट क्लियरेंस की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी / दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. 7.5 मीटर की पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की संख्या प्रजातिवार विवरण तथा आगामी वर्षों में रख–रखाव के लिए व्ययवार विवरण सहित प्रस्ताव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क का निर्माण हेतु पूर्ण DPR प्रस्तुत करे एवं ईको पार्क का निर्माण कार्य की प्रगति अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को ग्राम–पंडरीदल्ली, राजहरा पहाड़, जमरूवा एवं दल्ली संरक्षित वन, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद के कुल क्षेत्रफल 220.42 हेक्टेयर (100.76 हेक्टेयर वन भूमि एवं 119.66 हेक्टेयर राजस्व भूमि) में आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–2.795 से 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (रोम), वेस्ट–9.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, क्रशर यूनिट (प्रत्येक की क्षमता 250 टी.पी.एच.) – 3, कुल उत्खनन क्षमता – 12.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

   साथ ही यह भी अनुशंसा की जाती है कि उल्लंघन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के WPC No. 1734 of 2018 के निर्णय आने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निर्णय अनुसार प्रभावित होगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स चितझोर क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम–चितझोर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2403)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/428141/2023, दिनांक 07/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चितझोर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,201 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर, क्षमता–1,231 घनमीटर (3,201 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/03/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 19/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	माईनिंग प्लान में प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	969	निरंक
2018–19	1,074	निरंक
2019–20	1,159	200
2020–21	1,168	80
2021–22	1,189	40
2022–23	1,192	निरंक

2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में नगर पालिक निगम, चिरमिरी का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/20/खनिज/उ.यो. अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/06/2012 से 24/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/06/2017 से 24/06/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./783 बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 04 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। समिति का मत है कि खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,200 टन, माईनेबल रिजर्व 29,004 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,103 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,826 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,519.4	षष्ठम	3,100.5
द्वितीय	2,792.4	सप्तम	3,198
तृतीय	3,014.7	अष्टम	3,201.9
चतुर्थ	3,036.1	नवम	2,542.6
पंचम	3,092.7	दशम	2,472.6

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at **Village-Chitjhor**	
			Plantation around village Pond	0.48
			Total	**0.48**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (नीम, आम, अर्जुन, शीशम आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,200 रूपये तथा सिंचाई एवं रख रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 83,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,99,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे– निकटतम आबादी क्षेत्र, ग्राम, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण का पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (**Notarized undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (**Notarized undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (**Notarized undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (**Notarized undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (**Undertaking**) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (**Undertaking**) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को **common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014** में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (**Undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को **writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors.** में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (**Undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:
समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे– निकटतम आबादी क्षेत्र 2 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी., अस्पताल 2.5 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है।

2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि

1,02,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,00,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चिल्हौर में एक भी तालाब नहीं होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पौधा रोपण का कार्य किये जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि आपके द्वारा ही पूर्व में ग्राम चिल्हौर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) मंगाया जाना तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. पूर्व में ग्राम चिरझोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में ग्राम चिरझोर में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (सरायपाली ओपनकास्ट एक्सपांशन प्रोजेक्ट), कोरबा एरिया, ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2286)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/457326/2024, दिनांक 01/01/2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् कोरबा एरिया, ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage II Expansion, 40%) करने के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.के. जेना, जनरल मैनेजर, दीपक पंड्या, जनरल मैनेजर, कोरबा एरिया एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्रीमती यामिनी सिंह उपस्थित हुए।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है–

   "Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

   Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental safeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है–

   "In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   1. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 21/03/2007 द्वारा कुल क्षेत्रफल– 279.0 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
   2. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2679/एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़/खदान/2285 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/03/2023 को कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता–1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष (20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
   3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 एवं दिनांक 30/05/2022 के अनुक्रम में 1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन क्रमांक एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/ 415356/2023, दिनांक 21/01/2023 में 50 प्रतिशत हेतु फाईनल ई.आई.ए./ई.एम.पी. एवं 50 प्रतिशत हेतु माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत

सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 28 फरवरी 2024 तक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार हेतु सर्टिफाईड कम्प्लायंस रिपोर्ट (CCR) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सर्टिफाईड कम्प्लायंस रिपोर्ट (CCR) प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30/05/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19/03/2024 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के स्पेसिफिक शर्त क्रमांक (iv), (v), (ix), (x), (xiv), (xvii) एवं जनरल शर्त क्रमांक (i), (iv), (ix), (xi), (xvi) तथा अतिरिक्त शर्त क्रमांक (vi), (viii), (xii), (xiii), (xiv) का आंशिक एवं अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
   - खदान क्षेत्र में निर्मित रिटेनिंग वॉल की ऊंचाई बढ़ाया जाना चाहिए।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त आंशिक एवं अपूर्ण प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 04/04/2024 में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान कोरबा एरिया, ग्राम-कुसमुंडा, तहसील-पाली, जिला-कोरबा स्थित

कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में ओपनकास्ट कोल माईन क्षमता–1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage II Expansion, 40%) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 1.96 MTPA.

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned authority.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. The project proponent shall submit the wildlife conservation plan duly approved by the PCCF (Wildlife) and the project money to be deposited in State CAMPA Fund.

v. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc and submit a report at every 06 months.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

viii. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

ix. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering

upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

x. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xi. The project proponent shall conduct the Biodiversity study of the project area and submit the report.

xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (रोहांसी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर श्री रोहित सिंघानिया), ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2510)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432470/2023, दिनांक 09/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13, 476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22 एवं 476/23 कुल क्षेत्रफल–3.652 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,123 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत रोहांसी का दिनांक 21/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्र. 950/खी.03–3/न.क्र.10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 17/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 992/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 992/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 228/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 06/02/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला–बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/01 बलौदाबाजार, दिनांक 02/01/2023 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र के कक्ष से 240 मीटर की आकाशीय दूरी पर है।

उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है:–

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 147/99/10–3 दिनांक 12/01/2000 के द्वारा निम्न प्रावधान जारी किया गया है:–

> **"प्रत्येक जिलाध्यक्ष द्वारा उत्खनन की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय, वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, जो कि वनमण्डलाधिकारी वनभूमि न होने की दशा में ही जारी करेंगे।"**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ 5/16/01/10–3 दिनांक 07/10/2002 के बिन्दु (ख) में निम्न प्रावधान है:–

> **"यदि प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं है तथा वनक्षेत्र के न होने के साथ भी वनक्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है, उसी स्थिति में क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।"**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ 5/16/61/10–3 दिनांक 17/08/2008 के द्वारा वनक्षेत्र से 250 मीटर के अंदर यदि खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुये खनिजपट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है, तो इस संबंध में अनुशंसा करने के लिए समिति का गठन किये जाने का पत्र में उल्लेख है।

मध्यप्रदेश राज्य में अवैध उत्खनन के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र दिनांक 27/08/2008 में दिये गये निर्देश मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे, अतः उक्त निर्देशों का संज्ञान नहीं लिया जाने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/स.–02/2022/150 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा जारी पत्र की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि जारी निर्देश मध्यप्रदेश शासन से जारी किये गये है। छत्तीसगढ़ शासन से उक्त के संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं किये गये है। अतः वनक्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की न्यूनतम दूरी छोड़ते हुये खनन कार्य किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खैरा 680 मीटर, स्कूल ग्राम–रोहांसी 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल सोनार देवरी 5.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.30 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी., तालाब 480 मीटर, नाला 560 मीटर एवं नहर 2 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,47,700 टन, माईनेबल रिजर्व 14,45,752 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,73,464 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,235 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,478.25 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल 6928.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी जनित होगी। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,434.75 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 20,784.75 घनमीटर ओव्हर बर्डन जनित होगी। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 372 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,019
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	1,50,016
चतुर्थ	1,50,123
पंचम	1,50,088

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,239 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (1,239 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,23,900	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	1,04,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	61,950	61,950	61,950	61,950	61,950
	सिंचाई, रख–रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 15,42,850		**4,94,850**	**2,61,950**	**2,61,950**	**2,61,950**	**2,61,950**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.54	2%	1.43	Following activities at, **Village- Rohansi**	
			Plantation around village pond & maintenance for 5 year	1.50
			Total	**1.50**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 7,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,650 रूपये, खाद के लिए राशि 3,550 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 48,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,02,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

ग्राम पंचायत रौहांसी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 943, क्षेत्रफल 3.804 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,478.25 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 6,928.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी जनित होगी, जिसमें से 2,186 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा एवं शेष 4,742.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को माईनिंग स्कीम के तहत् लीज क्षेत्र के दक्षिण भाग (प्रस्तुत प्लान पिरियड के अनुसार गैर माईनिंग) के 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा एवं आगामी माईनिंग स्कीम के तहत् इस मिट्टी का उपयोग पुर्नभरण में किया जाएगा अथवा लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, क्षेत्रफल 0.283 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि 4,742.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी की ऊंचाई तथा अन्य क्षेत्र में स्लोप की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,434.75 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 20,784.75 घनमीटर ओव्हर बर्डन जनित होगी, जिसमें से ओव्हर बर्डन का उपयोग आवेदित क्षेत्र के भीतर क्रशर रैम्प निर्माण, हॉल रोड के विकास आदि कार्यों में किया जाएगा। समिति का मत है कि ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत मेंई नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख्ता गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 480 मीटर तथा नहर कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

27. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.25 कि.मी., अस्पताल 5.75 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 680 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. निकटतम वन क्षेत्र की तरफ लीज क्षेत्र के भीतर कम से कम 10 मीटर की चौड़ाई तक के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखकर अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. ऊपरी मिट्टी (मात्रा 4,742.25 घनमीटर) को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु सुरक्षा कारणों से ऊपरी मिट्टी की ऊंचाई तथा डम्प क्षेत्र में स्लोप की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. ओवर बर्डन (मात्रा 20,784.75 घनमीटर) प्रबंधन योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/04/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. निकटतम वन क्षेत्र के तरफ लीज क्षेत्र के भीतर कम से कम 10 मीटर की चौड़ाई तक के 350 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

2. ऊपरी मिट्टी मात्रा 4,742.25 घनमीटर में से 2,200 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर खाली जगह पर 2 मीटर की ऊंचाई एवं 9 डिग्री के स्लोप में डम्प किया जाएगा तथा शेष 2542.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को खसरा क्रमांक 503/1, 503/2, 503/3, 502/1 एवं 502/2 के 1700 वर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की ऊंचाई एवं 10 डिग्री के स्लोप में डम्प किया जाएगा।

3. ओव्हर बर्डन मात्रा 20,784.75 घनमीटर में से 5,000 घनमीटर ओव्हर बर्डन को रैम्प निर्माण, 13,500 घनमीटर क्रशर के हॉपर रैम्प निर्माण, 930 घनमीटर ओव्हर बर्डन को क्रशर की स्थापना हेतु उपयोग किया जाएगा। शेष 1,354.75 घनमीटर को खसरा क्रमांक 503/1, 503/2, 503/3, 502/1 एवं 502/2 के 1700 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित किया जाएगा।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 992/बी 3–3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रोहांसी) का क्षेत्रफल 3.052 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (रोहांसी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर श्री रोहित सिंघानिया) को ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के खसरा क्रमांक 475/7, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13, 476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22 एवं 476/23 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.652 हेक्टेयर, क्षमता – 1,50,123 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)	(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स पोन्दूम सेण्ड क्वारी (डी–5) (सरपंच, ग्राम पंचायत पोन्दूम) को खसरा क्रमांक–948(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–पोन्दूम, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, में डंकनी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">2%</td><td rowspan="3">0.20</td><td colspan="2">Following activities at, Village-Pondum-2</td></tr>
<tr><td>Pavitra Van Nirman</td><td>5.528</td></tr>
<tr><td>**Total**</td><td>**5.528**</td></tr>
</table>

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 405 नग पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 85,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 48,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये तथा अन्य के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,11,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पोन्दुम–2 के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 939, क्षेत्रफल 1.55 हेक्टेयर में से 0.40 डिसमिल) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त मे संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध मे की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा

संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–02

मेसर्स एम.एस.के. यदु त्रिवेणी (प्रो.– श्री शत्रुघ्न यदु, नंदनिया सेण्ड माईन) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल क्षेत्रफल – 4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–नंदनिया, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलेण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.81	2%	0.5162	Following activities at, Village- Parsada	
			Plantation around Pond	0.543
			Total	0.543

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 23 नग पौधों के लिए राशि 2,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,450 रूपये, खाद के लिए राशि 1,725 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,475 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 34,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम परसदा के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण (खसरा क्रमांक 324, क्षेत्रफल 0.987 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में

मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **parivesh.nic.in** पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री करण भानुशाली) के खसरा क्रमांक 263/1, 279/1, 279/2, 279/3 एवं 280/1, कुल लीज क्षेत्र 4.44 हेक्टेयर, ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,07,100 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.44 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,07,100 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर

विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 70,35,798 रूपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at nearby, Village-Tikanpal	
			Pavitra Van Nirman	2.908
			Total	2.908

23. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 98,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,92,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत टिकनपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 26

क्षेत्रफल 3.14 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

25. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,300 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

28. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 900 नग पौधों का रोपण (कुल 2,200 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

38. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

39. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

40. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट-04

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF MINING OF IRON ORE FROM 2.795 MTPA TO 3.5 MTPA, WASTE- 9.1 MTPA, CRUSHER (3X250 TPH) - 750 TPH BY M/S STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED (SAIL) AT VILLAGE- PANDRIDALLI, RAJHARA PAHAR, JAMRUWA & DALLI FOREST RANGE, TEHSIL- DOUNDI, DISTICT- BALOD OVER AN AREA OF 220.42 HECTARES (FOREST LAND- 100.76 HECTARE AND REVENUE LAND- 119.66 HECTARE).

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly. This EC is subject to necessary change as per the order of the Hon'ble High Court, Bilaspur in WPC No. 1734 of 2018

I. **Statutory Compliance:**

i. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/ judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'b1e NGT and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

ii. This Environmental Clearance (EC) will be affected, when the decision of Hon'ble High Court, Bilaspur WPC 1734 of 2018 comes regarding the violation matter.

iii. The Project proponent complies with all the statutory requirements and judgement of Hon'b1e Supreme Court dated 2nd August,2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.

iv. The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.

v. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board for Wildlife, if applicable to the Project.

vi. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980, if applicable to the Project.

vii. The mining leaseholders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other which may have been disturbed due to their mining activeites and restore the land to a condition, which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

viii. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish / Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.

ix. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Development & Regulation), Act, 2015 and rules & regulations made there under. PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.

x. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it.

xi. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFC C's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-Issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".

xii. The Project Proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 8.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site.

ii. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM10 and PM2.5 are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/ Central Pollution Control Board.

iii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986.

iv. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality /fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

vi. Project proponent shall install water sprinkling arrangements of every crusher to control the fugitive emmisions.

vii. As much as possible transportation of iron ore by rail. If transportation of iron ore by road, shall be carried out by leak proof trucks/dumpers cover them with tarpaulin. Effective control measures such as regular water sprinkling/rain gun/ Fog cannon /mist sprinkling etc., shall be carried out in critical areas prone to air pollution with higher level of particulate matter all through the transport roads, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled regularly. It shall be ensured that the

ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.

viii. Wind shelter fence and chemical spraying shall be provided on the raw material stock piles.

ix. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, Oil Cellars.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. In case, immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case, mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA and MoEFCC is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.

ii. Regular monitoring of the flow rate of the springs and perennial nallahs flowing in and around the mine lease shall be carried out and records maintain. The natural water bodies and or streams which are flowing in an around the village, should not be disturbed. The Water Table should be nurtured so as not to go down below the pre-mining period. In case of any water scarcity in the area, the Project Proponent has to pr vide water to the villagers for their use. A provision for regular monitoring of water table in open dug well located in village should be incorporated to ascertain the impact of mining over ground water table. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iii. The Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/ State Ground Water Department. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iv. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease and maintain its records. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby/ adjacent to the mine lease and maintain its records. Sufficient number of gullies shall be provided at appropriate places within the lease for management of water. PP shall carryout regular monitoring w.r.t. pH and included the same in monitoring plan. The parameters to be monitored shall include their water quality vis-a-vis suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre- monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Clearly showing the trend analysis on six-monthly basis.

v. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off; acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. I-20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

vi. The Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEFCC annually.

vii. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

viii. The water balance/water auditing shall be carried out and measure for reducing the consumption of water shall be taken up and reported to the Regional Office of the MoEF&CC and State Pollution Control Board/Committee.

ix. The project proponent shall provide the slime disposal facility with impervious lining and collection wells for seepage. The water collected from the slime pond shall be treated and recycled.

x. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 And connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

xi. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

xii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

xiii. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area.

xiv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

xv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise and vibration monitoring and prevention

i. The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

ii. The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. PPs must ensure that the biological clock of the Villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day /night hours.

iii. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The worker engaged in operations of HEMM etc should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

iv. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

v. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Mining plan

i. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc.. No change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz. method of mining, overburden & dump management , O.B & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc.) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

ii. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the Provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/ Guidelines made there under. A copy of approved final mine closure plan shall be submitted within 2 months of the approval of the same from the competent authority to the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for record and verification.

iii. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-a-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan. PP shall ensure the monitoring and management of

rehabilitated areas until the vegetation becomes self- sustaining. The compliance status shall be submitted half-yearly to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

VI. Land reclamation

i. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.

ii. The reject/waste generated during the mining operations shall be stacked at earmarked waste dump site(s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.

iii. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum Progressive Mine Closure Plan.

iv. The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface run off. The selection of local species regulates local climatic parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dumps. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/ compactors thereby ensuring proper filling/ leveling of dump mass. In critical areas, use of geo textiles/ geo-membranes / clay liners / Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.

v. The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slope stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.

vi. Catch drins settling tanks siltation donds of addroriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

vii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper setting of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the ga.r1and drains.

viii. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as per the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

VII. Transportation

i. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a ' bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/ rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

ii. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

VIII. Green Belt

i. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole Green belt shall be developed Within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

ii. The Project Proponent shall carryout plantation/ afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc. by planting the native species in consultation with the State Forest Department / Agriculture Department / Rural development department / Tribal Welfare Department / Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. The density of the trees should be around 2500 saplings per Hectare. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of trees.

iii. The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the

scorching sun, should be scrupulously guarded/ protected against felling and plantation of such trees should be promoted.

iv. The Project Proponent shall undertake all precautionary measures for conservation and protection of endangered flora and fauna and Schedule-I species during mining operation. A Wildlife Conservation Plan shall be prepared for the same clearly delineating action to be taken for conservation of flora and fauna. The Plan shall be approved by Chief Wild Life Warden of the State Govt. And implemented in consultation with the State Forest and Wildlife Department. A copy of Wildlife Conservation Plan and its implementation status (annual) shall be submitted to the Regional Office of the Ministry.

IX. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

X. Waste Management

i. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

ii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

iii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

XI. Public Hearing and Human Health Issues

i. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly. PP shall also carryout Occupational Health check-ups in respect of workers which are having ailments like BP, diabetes, habitual smoking, etc. The check-ups shall be undertaken once in six months and necessary remedial/ preventive measures be taken. A status report on the same may be sent to MoEFCC Regional Office and DGMS on half-yearly basis.

ii. The Project Proponent must demonstrate commitment to work towards 'Zero Harm' from their mining activities and carry out Health Risk Assessment (HRA) for identification workplace hazards and assess their potential risks to health and determine appropriate control measures to protect the health and wellbeing of workers and nearby community. The proponent shall maintain accurate and systematic records of the HRA. The HRA for neighborhood has to focus on Public Health Problems like Malaria, Tuberculosis, HIV, Anaemia, Diarrhoea in children under five, respiratory infections due to bio mass cooking. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for Sanitation, Personal Hygiene, Hand washing, not to defecate in open, Women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

iii. The Proponent shall carry out Occupational health surveillance which be a part of HRA and include Biological Monitoring where practical and feasible, and the tests and investigations relevant to the exposure (e.g. for Dust a X-Ray chest; For Noise Audiometric; for Lead Exposure Blood Lead, For Welders Full Ophthalmologic Assessment; for Manganese Miners a complete Neurological Assessment by a Certified Neurologist, and Manganese (Mn) Estimation in Blood; For Inorganic Chromium- Fortnightly skin inspection of hands and forearms by a responsible person. Except routine tests all tests would be carried out in a Lab accredited by NABH. Records of Health Surveillance must be kept for 30 years, including the results of and the records of Physical examination and tests. The record of exposure due to materials like Asbestos, Hard Rock Mining, Silica, Gold, Kaolin, Aluminium, Iron, Manganese, Chromium, Lead, Uranium need to be handed over to the Mining Department of the State in case the life of the mine is less than 30 years. It would be obligatory for the State Mines Departments to make arrangements for the safe and secure storage of the records including X-Ray. Only conventional X-Ray will be accepted for record purposes and not the digital one). X-Ray must meet ILO criteria (17 x14 inches and of good quality).

iv. The Proponent shall maintained a record of performance indicators for workers which includes (a) there should not be a significant decline in their Body Mass Index and it should stay between 18.5 -24.9, (b) the Final Chest X-Ray compared with the base line X-Ray should not show any capacities ,(c) At the end of their leaving job there should be no Diminution in their Lung Functions Forced Expiratory Volume in one second (FEV1),Forced Vital Capacity (FVC), and the ratio) unless they are smokers which has to be adjusted, and the effect of age, (d) their hearing should not be affected. As a proof an Audiogram (first and last need to be presented), (e) they should not have developed any Persistent Back Pain, Neck Pain, and the movement of their Hip, Knee and other joints should have normal range of movement, (f) they should not have suffered loss of any body part. The record of the same should be submitted to the Regional Office, MoEFCC annually along with details of the relief and compensation paid to workers having above indications.

v. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

vi. Project Proponent shall make provision for the housing for workers/labors or shall construct labor camps within/outside (company owned land) with necessary basic infrastructure/ facilities like fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche for kids etc. The housing may be provided in the form of temporary structures which can be removed after the completion of the project related infrastructure. The domestic waste water should be treated with STP in order to avoid contamination of underground water.

vii. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

XII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi regarding Corporate Environment Responsibility.

ii. Project proponent shall ensure to developed the ECO park with in the 10km radius of the project site under Corporate Environment Responsibility and submit a half yearly status report to SEIAA/SEAC.
iii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 02 years.
iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
v. Project proponent shall form a tripartite committee (Mine owner, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities and CEMP activities.
vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
viii. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
ix. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XIII. Miscellaneous

i. The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEF&CC.
ii. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
iii. Local persons shall be given employment during mining, development and operation of the site.
iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition , this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies

in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (रोहांसी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर श्री रोहित सिंघानिया) को खसरा क्रमांक 475/7, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13, 476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22 एवं 476/23, कुल लीज क्षेत्र 3.652 हेक्टेयर, ग्राम–रोहांसी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,50,123 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.652 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,50,123 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से

अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.54	2%	1.43	Following activities at, **Village- Rohansi**	
			Plantation around village pond & maintenance for 5 year	1.50
			Total	**1.50**

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–रोहांसी के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 7,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,650 रूपये, खाद के लिए राशि 3,550 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 27,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 48,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,02,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोहांसी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 843, क्षेत्रफल 3.804 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन

या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,239 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 730 नग पौधों का रोपण (कुल 1,240 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू–जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. — अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.